प्रशासन गावों के संग अभियान–2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 7/2021

अनिता बाई पुत्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी मांगरोल हाल निवासी बारां

.......वादनी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादी : श्री हरिओम प्रजापत

दायरा दिनांकः 11.01.2021 निर्णय दिनांक : 12.10.2021

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के खाते की आराजी माल किशनपुरा में स्थित खाता संख्या 111 की खसरा नं0 583/1059 रकबा 0.37 है0, खसरा नं0 583/987 रकबा 1.21 है0 कुल किता 2 रकबा 1.58 है0 आराजियात स्थित है। विवादित आराजी में वादनी का नाम मुर्ति पुत्री जगदीशप्रसाद दर्ज हिस्सा 1/6 पर दर्ज हो रहा है जो कि वादनी का नाम सहवन से खाते में मुर्ति दर्ज हो गया वादनी का वास्तविक व रेकार्डेड नाम अनिता बाई है तथा वादनी राजस्व रेकार्ड में सही नाम दर्ज करवाना चाहती है। वादनी के समस्त राजकीय दस्तावेज राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, व अन्य दस्तावेजो में वादनी का सही नाम अनिता बाई दर्ज है। इसलिए वादनी राजस्व रेकार्ड में अपना नाम अनिता बाई दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः किशनपुरा में स्थित खाता संख्या 111 की खसरा नं0 583/1059 रकबा 0.37 है0, खसरा नं0 583/987 रकबा 1.21 है0 कुल किता 2 रकबा 1.58 है0 की राजस्व जमाबंदी में वादनी का नाम मुर्ति पुत्री जगदीशप्रसाद के स्थान पर अनिताबाई पुत्री जगदीश प्रसाद दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 11.01.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्र कमांक/भू0अ0/2020/783 दिनांक 14.09.2021 से रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार ग्राम किशनपुरा की जमाबंदी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 111 की खसरा नं0 583/1059 रकबा 0.37 है0, खसरा नं0 583/987 रकबा 1.21 है0 कुल किता 2 रकबा 1.58 है0 में वादनी का नाम मूर्ति पुत्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जबकी सही नाम अनिता बाई पुत्री जगदीश प्रसाद जाति

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

प्रशासन गावों के संग अभियान–2021

ब्राहमण सही है अतः सही नाम अनिता बाई पुत्री जगदीश प्रसाद राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने की अनुशंषा की जाती है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो आधार पर ग्राम किशनपुरा की जमाबंदी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 111 की खसरा नं0 583/1059 रकबा 0.37 है0, खसरा नं0 583/987 रकबा 1.21 है0 कुल किता 2 रकबा 1.58 है0 की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादनी का नाम मुर्ति बाई पुत्री जगदीश प्रसाद के स्थान पर मुर्ति उर्फ अनिता बाई पुत्री जगदीश प्रसाद दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। यदि वादनी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादनी स्वयं जिम्मेवार होंगी। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प किशनपुरा मजमेंआम में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner